MARUTI SUZUKI

मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

CIN: L34103DL1981PLC011375
पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
फोनः +91 (11) 46781000, फैक्सः +91 (11) 46150275
www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

विडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'), बुक क्लोजर एवं अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी मामलें पर सभी लागू परिपत्रों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित किये जाने वाले व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की एजीएम मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 को प्रातः 10.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.marutisuzuki.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

3. **ई–मेल पतों को पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रियाः**

   क) फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे लिंकः https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके या सदस्य का नाम एवं पता, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति एवं कंपनी के पास पंजीकृत अनुसार सदस्य के पते के प्रमाण में समर्थन में किसी एक दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि) की स्व–सत्यापित प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की कॉपी के साथ इसे अपने रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को ई–मेल einward.ris@kfintech.com पर भेजकर अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करा सकते हैं।

   ख) डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

   ग) एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित प्रयोजन के लिए सदस्यगण लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx के माध्यम से पंजीकरण करके अपना ई–मेल पता अस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं

4. **ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रियाः**

   क) सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण और वे सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, के लिए रिमोट वोटिंग (''रिमोट ई–वोटिंग'') की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कि कंपनी की वेबसाइट www.marutisuzuki.com पर उपलब्ध होगी।

   ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही एजीएम में वोट देने के पात्र होंगे।

   ग) ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने हेतु लॉगइन क्रेडेंशियल्स ई–मेल के माध्यम से सदस्यों को उपलब्ध कराएं जाएंगे। सदस्यगण जिन्हें ई–मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में नोट्स में दिये गये निर्देशों का पालन करके अपना लॉगइन क्रेडेंशियल्स जेनरेट कर सकते हैं।

5. **लाभांश के लिए बुक क्लोजर एवं उसका भुगतानः**

   क) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लाभांश के भुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण करने के लिए बुक क्लोजर अवधि शनिवार, 07 अगस्त, 2021 से मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 (दोनों दिवस शामिल) निर्धारित की है।

   ख) सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को लाभांश का भुगतान शुक्रवार, 14 अगस्त, 2020 की समाप्ति पर डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभार्थी स्वामित्व के विवरणों के आधार पर किया जाएगा और फिजिकल प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में वे सदस्यगण जिनका नाम शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021 को या उससे पूर्व शेयरों के ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन के लिए प्राप्त वैध अनुरोध को प्रभावी मानने के बाद शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021 की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होगा।

   ग) सभी लागू परिपत्रों के अनुसार, लाभांश का भुगतान केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने बैंक खाता विवरण अपडेट कराये हैं। उन सदस्यों जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है, उन्हें लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पतों पर भेजा जाएगा।

   घ) लाभांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की कटौती के अधीन किया जाएगा। विस्तृत विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना में नोट्स को देखें।

6. **लाभांश प्राप्त करने के लिए मेंडेट पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः**

   सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण निम्नानुसार पंजीकृत/अपडेट कराएंः

   क) यदि शेयर डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में हैं तो अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करके अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत कराएं। डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा निर्धारित प्रारूप का विवरण भी अपेक्षित अनुसार प्रस्तुत करना किया जा सकता है; और

   ख) सदस्य का नाम, फोलियो नं., बैंक विवरण, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति एवं एक कैंसल चैक के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की कॉपी के साथ कंपनी (जहां शेयर फिजिकल प्रारूप में धारित हैं) को ई–मेलः einward.ris@kfintech.com पर मेल भेजरक पंजीकृत कराएं।

7. **सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया के संबंध में एजीएम की सूचना में दिये गये नोट्स को भली–भांति पढ़ लें।**

मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

नई दिल्ली
29 जुलाई, 2021

संजीव ग्रोवर
उप–अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव